self-sufficiency by various schemes for cashew cultivation.

Last year there was steep fall in the kernel price in the international market. Hence the private cashew processors refused to lift the raw-nuts allotted to them. Then the State sponsored the Kerala State Cashew Development Corporation so as to takeover temporarily the 90 private processing factories.

Now because of the slump in the international market huge stocks of kernel is lying with the State Corporation. The Corporation is facing a financial crisis. As the Government of India is not agreeable for a export subsidy, the Government of Kerala had requested for an additional loan of Rs. 5 crores as an interest free loan and also to waive the interest for the earlier loan sanctioned.

I request the Government of India to heed to the request of the Government of Kerala.

(iv) DISSATISFACTION AMONG TEACHERS AND STUDENTS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY.

PROF. DILIP CHAKARVARTY (Calcutta South): Under Rule 377, Mr. Speaker, I would like to point out that education, teachers and students are given only low priority. The teachers and students in our academic institutions are restive in different parts of the country. In Tamil Nadu, more than 800 teachers have courted arrest upto February 27 in different parts of the State. The teachers only demands were security of service and direct payment of their salary. In the course of the movement in Tamil Nadu, more than 25 women teachers were also arrested. A new dimension has been added when more than 150 students also courted arrest in support of the demands of the teachers.

In Kerala, a 20-year old Ayurveda student, P. K. Rajan, was murdered in his class-room.

In Patna, 2 teachers of the Patna University had been murdered.

I would urge the Union Education Minister to come forward with a statement and to do the needful to arrest this rot in the academic world by taking appropriate steps at the Central level as also by persuading his counter-parts at the State level to do the needful for education in general and the teachers and students in particular.

(v) TREATMENT METED OUT TO KISAN SATYAGRAHIS RELEASED FROM TIHAR JAIL

श्री राजनारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, मैं, लोक सभा कार्य प्रक्रिया संचालन विषयक नियम के नियम 377 के अधीन निम्न महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं :–

"दिनांक 28–2–79 को तिहाड़ जेल से 490 किसान सत्याग्रहियों को बिना टिकट रात्रि 8 बजे रिहा किया गया, किसी भी सत्याग्रही को भोजन एवं मार्ग व्यय की व्यवस्था नहीं की गई, जेल के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा किसान सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया । 13 फरवरी को जब इनकी गिफ्तारी हुई तो पार्लियामेन्ट स्ट्रीट के सब इन्सपेक्टर और उनके सहयोगियों द्वारा किसानों पर बुरी तरह लाठी चार्ज किया गया । जेल के अन्दर इनकी सफाई, दवाई और खाने की उचित व्यवस्था नहीं थी ।"

श्रीमन् ये करीब 8 बजे बंदी जेल से छूट कर आये । हम ने सर्वप्रथम घर मंत्री को फोन किया लेकिन हमें बताया गया कि वे बाथरूम में हैं । इसके बाद हमने प्रधान मंत्री को फोन किया और उन्हें सारी बातें बता दीं । अगर श्रीमन्, मंत्री लोग एक-एक घण्टा बाथरूम में रहें तो देश का कल्याण कैसे हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : राज नारायण जी, यह आपके लिखे हुए नोटिस में नहीं है ।

श्री राज नारायण : अगर श्रीमन्, एक घण्टा घर मंत्री बाथ रूम में है तो यह देश कैसे चल सकता है । सरकार नियम की अवहेलना कर रही है । जिनके पास जेल से बाहर आने पर कपड़ा नहीं होता है उन्हें कम्बल मिलता है, जिनके पास टिकट का पैसा नहीं होता है, उन्हें सरकार की ओर से टिकट दिया जाता है । सरकार की ओर से यह अमानवीय कुकर्म हुआ है, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो ।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : यहां पर मंत्री बैठे हुए हैं। जिन लोगों के साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया है, उनके बारे में जांच कर वक्तव्य दें।

12.22 hrs.

SPECIAL COURTS BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri H. M. Patel on the Special Courts Bill. Dr. Murli Manohar Joshi will continue his speech.

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने कल जो तर्क रखे उनमें एक बात यह ही गई थी कि आपात् स्थिति में कुछ तस्कर व्यापारी पकड़े गये थे इसलिए उसको जुर्म नहीं माना जा सकता। अगर उनको किसी ने पकड़ा था तो अब उन पर मुकद्दमा चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या श्री भीमसेन सच्चर तस्कर थे? जो इन्स्पेक्टर पकड़े गये थे, क्या वे तस्कर थे? श्रीमती स्नेहलता रेड्डी तस्कर थीं? क्या श्री मोरारजी देसाई तस्कर थे? क्या मैं तस्कर था? मैं जिस जेल में रखा गया था वहां पर पकड़े गये अधिकांश लोग राजनीतिक बंदी थे। तस्करों को खुली छूट रही **

श्री बसंत साठे (अकोला) : क्या आप पर तस्करी का चार्ज लगाया गया था? (व्यवधान) ****

MR. SPEAKER: Don't record.

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, आप देखें कि किस प्रकार से संविधान की हत्या करने का यहां प्रयत्न किया गया। उसका अगर मुकाबला नाजी हिटलर की कार्यवाहियों से किया जाए तो सब स्पष्ट हो जायेगा। कि किस प्रकार संविधान का दुरुपयोग सारे भारतीय गणतंत्र को समाप्त करने के लिए किया गया। यह एक वास्तविकता है। मैं न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। हिंडनबर्ग जो उस समय जर्मनी में राष्ट्रपति थे उन के लिए इस में लिखा है :

"He fell for the Nazi leaders' story, and signed an emergency decree in which important articles of the constitution were suspended the freedom of the person, the free expression of opinion, the freedom of the Press, the right of assembly, the privacy of the post, the protection against house search and arrest without a legal warrant."

उसके बाद क्या हुआ :

"The first concentration camps were built. Newspapers inimical to Hitler were banned, opposition meetings dispersed, the leaders of the opposition arrested."

आगे यह पुस्तक कहती है :

"On 24th March 1933 only 535 out of total of 647 Members of the Reichstag were present. The absence of some was unexplained—they were in the concentration camps. As a result of Nazi pressure and terror, the Reichstag approved the 'Enabling Act', 441 members voting for it. This event represented the seizure of political control by the conspirators. Wtih the Enabling Act, Hitler became absolute dictator, Weimar was dead, democracy strangled."

उसके पश्चात् न्यूरेमबर्ग महाभियोग हुआ। आवश्यकता थी कि उसी तरह का एक महाभियोग यहां भी चलाया जाता। लेकिन हमने विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार जो कुछ हो सकता था उसको करने की कोशिश की है।

कल प्रतिपक्ष की ओर से यह कहा गया कि वह महोदय जिन्होंने आपात स्थिति की घोषणा को लोक सभा में सम्पुष्ट कराया वह आज सत्तारूढ़ हैं और हमारे साथ हैं। यह ठीक बात है। लेकिन उन्होंने अपनी गलती महसूस की और उन्होंने उस राजनीतिक तानाशाही पार्टी को चुनाव में परास्त करवाया जिस ने आपात स्थिति को लागू कराने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रायश्चित कर लिया है। मैं सब से कहना चाहता हूं मानवता के नाम पर जनतंत्र के नाम पर भारतीय लोकतन्त्र के नाम पर कि कृपा करके इस बिल का आप भी समर्थन करें, आपात स्थिति के अपराधियों को दंडित कराओ और प्रायश्चित करें।

**Expunged as ordered by the Chair.

****Not recorded.